<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क-445/12</u> <u>संस्थित दिनांक- 07.11.2012</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

- 1. जानकीलाल पुत्र कम्मोडी कुशवाह उम्र ४४ साल
- 2. गोपाल काछी पुत्र जानकी कुशवाह उम्र 24 साल निवासीगण दिबया थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 31.08.2017 को घोषित)</u>

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 341, 324/34, 506बी के आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 26.10.2012 को समय सुबह 06:00 बजे ग्राम दिबया में फरियादी के घर के पास जमीन पर से विवाद से उसे मां बहन की बुरी—बुरी गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी जशरथ का रास्ता रोककर उसे गंतव्य दिशा में जाने से रोककर उसे सदोष अवरोध कारित कर फरियादी जसरथ को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में किसी धारदार फरसा एवं लाठी से फरियादी को स्वेच्छया उपहित कारित की व उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—26.10.2012 को सुबह 06:00 बजे फरियादी जसरथ अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी जानकीलाल, गोपाल काछी आये और जमीन के विवाद पर से जसरथ को मां बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगे। जसरथ ने गाली देने से मना किया तो गोपाल ने डण्डा मारा जो उसके बाये पैर की जांघ में लगा मुंदी चोट आयी। जानकीलाल काछी ने फर्सा मारा जो सिर में बाये तरफ लगा, चोट होकर खून निकल आया। घटना के समय हरबान काछी रामलाल लोधी व प्रेमबाई थी जिन्होने जसरथ को बचाया था। जब जसरथ घर जाने लगा तो दोनों ने रास्ता रोककर

कहा कि अब जमीन की बात करी तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी जसरथ द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 346/12 अंतर्गत धारा— 323, 324, 294, 341, 506बी, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 26.10.2012 को समय सुबह 6 बजे ग्राम दिबया में फरियादी के धार के पास जमीन पर से विवाद से उसे मां बहन की बुरी—बुरी गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जशरथ का रास्ता रोककर उसे गंतव्य दिशा में जाने से रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया ?
- 3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी जसरथ को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया ?
- 4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी जसरथ को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में किसी धारदार फरसा एवं लाठी से फरियादी को स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 5. दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमाक 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05— सुविधा की दृष्टि एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुन्वृत्ति को रोकने के लिये उपरेक्त विचारणीय प्रश्न का विवेचन पहले किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से घटना को प्रमाणित करने के लिये अपने समर्थन में फरियादी जसरथ काछी (अ0सा0—2) सिहत घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उसकी मां प्रेमाबाई (अ0सा0—3) सिहत हरबन काछी (अ0सा0—1) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं।
- 06— फरियादी जशरथ (अ०सा0—2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि आरोपीगण उसके खेत में जबरदस्ती खेती कर रहे थे। जिसे वह मना करता था तथा आरोपीगण और उसके बीच इसी बात का विवाद था। फरियादी के अनुसार घटना उसके कथन देने के दिनांक के 4 वर्ष पूर्व की सुबह 8 बजे की है, वह अपने घर के द्वारे पर बैठा था, तो दोनों अभियुक्तगण अपने घर से निकल कर साथ में आये और उनमें से अभियुक्त जानकीलाल ने उसके पीछे से आकर फर्सा मार दिया, जिसके बाद वह गिर कर बेहोश हो गया था। फरियादी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट उसी दिन पुलिस थाना चंदेरी में जाकर की थीं, रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।
- 07— फरियादी की मां प्रेमाबाई (अ०सा०—3) जो कि घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने भी अपने न्यायालीन कथनों मे जशरथ (अ०सा०—2) के कथनों की पुष्टि की है। प्रेमाबाई (अ०सा०—3) का कहना है कि घटना उसके घर के द्वारे की सुबह के समय की हैं। इस साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने उसके द्वारे पर आकर उसके लड़के जशरथ (अ०सा०—2) के साथ मारपीट की थी जब वह लड़के की आवाज सुनकर बाहर पहुची तो उसने अभियुक्त जानकीलाल को जशरथ को सिर में फर्सा मारते हुये देखा था तथा अभियुक्त गोपाल से भी जशरथ (अ०सा०—2) की लिपट—झपट हो रही थी। प्रेमाबाई (अ०सा०—3) ने अपने कथनों में घटना घटित होने के कारण के संबंध में भी फरियादी जशरथ (अ०सा०—2) के कथनों की पुष्टि करते हुये जमीन के उपर से विवाद होना बताया हैं।
- 08— अभियुक्तगण का फरियादी से घटना के पूर्व से जमीन का विवाद था, इस तथ्य को तथा इस संबंध में फरियादी जशरथ (अ०सा0—2) व प्रेमाबाई (अ०सा0—3) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों को बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई बल्कि इसके विपरीत बचाव पक्ष की सुझाव के माध्यम से यह

प्रतिरक्षा हैं कि उक्त विवाद के चलते ही फरियादी ने अभियुक्तगण को झूठा फंसाया हैं।

- 09— बचाव पक्ष की ओर जशरथ (अ0सा0—2) के प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव की ''फरियादी के पिता अभियुक्त को 10,000/— रूपये के एवज में जमीन बटाई पर देते थें'' का हालांकि पहले खण्डन किया गया हैं, परन्तु फरियादी ने बाद में यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से 10,000/— रूपये लेकर खेती कि है तथा वह उक्त राशि लेकर अभियुक्त को ठेके पर जमीन देता है। इसी प्रकार प्रेमाबाई (अ0सा0—3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा सुझाव के माध्यम से ली गई प्रतिरक्षा की ''फरियादी के पिता अभियुक्त को ठेके पर जमीन देता था तथा उसके पित के मरने के बाद जशरथ 10,000/— रूपये में जानकी को ठेके पर जमीन देता था'' को प्रेमाबाई (अ0सा0—3) ने स्वीकार किया है।
- 10— अतः अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना के पूर्व फिरयादी के पिता अभियुक्त को जमीन ठेके पर देता था तथा पिता के मरने के बाद फिरयादी भी अभियुक्त को जमीन ठेके पर देता था। परन्तु दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति फिरयादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण की किण्डका—4 में दिये गये कथन की फिरयादी अपनी जमीन पर खुद खेती करना चाहता है तथा मुख्यपरीक्षण में फिरयादी का यह कहना कि अभियुक्त उसे अपनी जमीन पर खेती नहीं करते देते, से संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि फिरयादी की जमीन अभियुक्त बटाई पर लिये हुये था जिस पर स्वयं फिरयादी खेती करना चाहता था परन्तु अभियुक्त उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था तथा दोनों के बीच इसी बात पर पूर्व से मनमुटाव था।
- 11— यह उल्लेखनीय है कि निश्चित रूप से पूर्व की रंजिश दो धारी तलवार के सामान होती हैं, जिससे एक तरफ तो यह भी हो सकता है कि फरियादी अभियुक्त को जमीन प्राप्त करने के लिये झूठा फंसा दे, परन्तु दूसरी ओर इस बात से भी इंकार नही किया जा सकता है कि उक्त जमीन मांगने पर अभियुक्त के द्वारा वास्तव में फरियादी के साथ मारपीट कर उपहित कारित की की जावे। यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त और फरियादी के मध्य पूर्व से विवाद की स्थित इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि फरियादी के पिता को अभियुक्त अपने साथ रखता था और खाना भी खिलता था, जो फरियादी को पसंद नही था उक्त तथ्य फरियादी ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किये हैं।

- 12— फरियादी व अभियुक्त के मध्य जमीन की बटाई को लेकर घटना के पूर्व से विवाद होना अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है तथा फरियादी के पिता को अभियुक्त के द्वारा अपने पास रखे जाने से भी दोनों के मध्य मन मुटाव थां अतः ऐसी स्थिति मे वास्तव में अभियुक्त के द्वारा फरियादी को फर्से से मारकर सिर पर उपहित कारित की गई। इस संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्याकन किया जाना आवश्यक है।
- 13— फरियादी जशरथ (अ०सा0—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह अखण्डित साक्ष्य दी हैं कि जमीन के विवाद के कारण उसके घर के बाहर अभियुक्तगण ने आकर उसके विवाद किया था और विवाद में अभियुक्त जानकीलाल ने फरियादी के सिर में फर्सा मारा था। विवाद जमीन पर घटना दिनांक को सुबह के समय फरियादी के घर के बाहर ही हुआ था, इस संबंध में फरियादी के कथनों की पुष्टि अनुसंधानकर्ता अधिकारी अब्दुल हमीद खां (अ०सा0—5) के द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श—पी 4 में दर्शाये गये घटना स्थल से भी होती हैं। प्रेमाबाई (अ०सा0—3) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की हैं कि जमीनी विवाद के कारण आरोपीगण ने उसके घर के बाहर आकर उसके लडके साथ मारपीट की थी जिसमें अभियुक्त जानकीलाल ने जशरथ को सिर में फर्सा मारा था।
- 14— अतः फरियादी जशरथ (अ०सा०—2) व प्रेमा बाई (अ०सा०—3) के द्वारा दिये गये अपने कथनो में इस संबंध में अखिण्डत साक्ष्य दी गई है कि जमीन के विवाद से अभियुक्तगण ने सुबह के समय फरियादी के घर के द्वारे पर आकर विवाद किया था जिसमें अभियुक्त जानकीलाल ने फरियादी के सिर में फर्सा मारकर उपहित कारित की थी। चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर आर० पी० शर्मा (अ०सा०—4) ने अपने न्यायालीन कथनो में इस बात की पूष्टि की है किदनांक 26.10.12 को जो की घटना दिनांक है, में उनके द्वारा फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था जिसमें फरियादी के सिर में बाये तरफ खून जमा हुआ, फटा हुआ घाव उन्होने पाया था जो कि 24 घण्टे की अविध का था।
- 15— हालांकि चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—4) ने इस बात पर फरियादी के कथनो का समर्थन नहीं किया है कि उक्त चोट में फरियादी को 20 टांके आये थे परन्तु डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—4) ने यह भी स्वीकार किया है कि फरियादी के सिर में जिस तरह की चोट थी उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 टांके आते। डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—5) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथन उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श—पी 3 से समर्थित हैं, जिसके आधार पर इस बात पर लेषमात्र भी संदेह नहीं रह जाता है कि घटना के बाद जब फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण हुआ था तो उसके सिर में

फटे हुये घाव की चोट थी।

- 16— अतः डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ०सा0—4) की साक्ष्य एवं उनके द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन प्रदर्श—पी 3 पर अविश्वास करने का कोई आधार नही हैं तथा उक्त आधार पर फरियादी जशरथ (अ०सा0—2) व प्रेमाबाई (अ०सा0—3) के कथन इस संबंध में पुष्ट हो जाते है कि घटना में जशरथ (अ०सा0—2) को सिर में उपहित कारित हुई थी। फरियादी सिहत प्रेमाबाई (अ०सा0—3) ने अभियुक्तगण के विरूद्ध इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दिये है कि जमीन के विवाद के कारण अभियुक्तगण सुबह के समय फरियादी के घर पर आये थे और उनमें से अभियुक्त जानकीलाल ने फरियादी के सिर में फर्सा मारकर उपहित कारित की थी तथा इस संबंध में साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों पर अविश्वास का कोई ठोस आधार अभिलेख पर नहीं है।
- 17— फरियादी जशरथ (अ०सा०—2) के कथनों में घटना के समय को लेकर मामली विरोधाभास अवश्य हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार घटना सुबह 06:00 बजे की है, परन्तु फरियादी अपने कथनों में सुबह 08:00 बजे की घटना बता रहा है, निश्चित रूप से घटना के समय को लेकर कथनों में उक्त विरोधाभास है, परन्तु फरियादी व अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के है तथा ऐसे परिवेश में घड़ी की सुई के अनुसार व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है अतः ऐसे में घटना के समय को लेकर फरियादी के कथनों में उक्त विरोधाभास ग्रामीण परिवेश की परिस्थितियों को देखकर आना स्वाभाविक हैं।
- 18— बचाव पक्ष की जशरथ (अ०सा०—2) के प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—5 में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा है कि अभियुक्त शराब पीकर गिर गया था, जिससे उसे सिर में चोट आई थीं। उक्त प्रतिरक्षा पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नही है। सर्व प्रथम तो चिकित्सीय परीक्षण में डॉक्टर आर पी शर्मा (अ०सा०—4) की प्रदर्श—पी 3 में कहीं ऐसी रिपोर्ट नही है कि चिकित्सीय परीक्षण के समय फरियादी शराब पीये हुये था और न ही डॉक्टर आर० पी० शर्मा (अ०सा०—4) ने इस संबंध में न्यायालय में कोई कथन दिये। अतः ऐसे में यदि फरियादी के सिर पर पाई गई चोट घटना के कुछ समय पूर्व की थी और फरियादी शराब नहीं पिये हुये था तो शराब के नश में फरियादी को सिर पर गिरने से चोट आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
- 19— फरियादी के सिर पर जिस प्रकार की चोट है वह स्वः कारित नही हो सकती है। डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—4) ने फरियादी के सिर पर मात्र एक चोट पाई है यदि फरियादी को गिरने चोट आती तो निश्चित रूप से उसके शरीर पर और भी कई चोटें होती। अतः बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा की फरियादी के

सिर पर चिकित्सीय परीक्षण में पाया गया फटा हुआ घाव अभियुक्त जानकीलाल के द्वारा घटना में कारित न किया जाकर किसी और घटना का परिणाम थीं, पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। फरियादी को निश्चित रूप से धारदार वस्तु की चोट नहीं है परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि फरियादी को आई चोट फर्सें से नहीं आ सकती है। डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—4) का स्वयं कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि फर्सा धारदार ही हो।

- 20— यदि फर्से के धार की तरफ से प्रहार न भी किया गया तब भी कारित की गई उपहित भा0द0वि0 की धारा 324 की परिधि में आयेगी क्योंकि धारा 324 भा0द0वि0 में विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग कर उपहित कारित करने के लिये दण्ड हैं, न कि उपहित के प्रकार के लिये। अतः ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि फरियादी को कटा हुआ घाव न होने से उसे कारित हुई उपहित फर्से से कारित नहीं हो सकती। निश्चित रूप से अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रकरण में घटना में प्रयोग किये गये हथियारों को जप्त नहीं किया गया, परन्तु अनुसंधान की उक्त कमी का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।
- 21— अभियुक्तगण का फरियादी से उसी जमीन को लेकर पूर्व से विवाद होना प्रमाणित हैं तथा अभिलेख पर इस आशय की अखण्डित साक्ष्य उपलब्ध है कि उक्त विवाद का कारण दोनों अभियुक्तगण एक राय होकर सुबह के समय फरियादी के घर के बाहर आये थे और अभियुक्त जानकीलाल ने फरियादी को सिर में फर्से से मारकर उपहित कारित की थी। फरियादी के सिर पर घटना दिनांक को फर्से की चोट होने की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है जिस पर अविश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। अतः ऐसे में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी जसरथ को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में जानकीलाल ने धारदार फरसा से फरियादी को स्वेच्छया उपहित कारित की।

विचारणीय प्रश्न कमाक 1,2, 3 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

22— फरियादी जशरथ (अ०सा0—2) एवं प्रेमबाई (अ०सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथनो में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं कि अभियुक्तगण ने फरियादी को घर पर आकर अश्लील गालिया उच्चारित की थी जिससे फरियादी को क्षोभ कारित हुआ और न ही इस संबंध में साक्षियों ने कोई कथन दिये हैं कि अभियुक्तगण ने घटना में फरियादी को किसी विशिष्ट दिशा में जाने से रोककर उसे संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी। घटना के

स्वतंत्र साक्षी हरबान सिंह (अ०सा०–1) ने घटना की जानकारी होन से ही इनकार किया है अतः ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने घटना दिनांक व समय को लोक स्थान फरियादी को मां बहन की बुरी बुरी गालियां देकर सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को रास्ता रोककर सदोष अपरोध कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।

- 23—फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि दिनांक 26.10.12 को सुबह 06:00 बजे ग्राम डिबया में फरियादी के घर के बाहर अभियुक्तगण ने फरियादी जशरथ को उपहित कारित करने का सामान्य निर्मित किया था और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त जानकीलाल ने जशरथ को फर्से से जो की काटने का उपकरण हैं, से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। अभियोजन साक्ष्य के अभाव में यह साबित करने में सफल नही हुआ है कि अभियुक्तगण ने लोक स्थान पर अश्लील गालिया उच्चारित कर फरियादी व अन्य को क्षोभ कारित किया एवं घटना में फरियादी को किसी विशिष्ट दिशा में जाने से रोककर उसे संत्राष कारित करते हुये फरियादी को संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 24— फलतः अभियुक्तगण जानकीलाल पुत्र कम्मोडी कुशवाह व गोपाल काछी पुत्र जानकी कुशवाह के विरूद्ध भादवि की धारा 324/34 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्तगण जानकीलाल पुत्र कम्मोडी कुशवाह व गोपाल काछी पुत्र जानकी कुशवाह भा०द०वि० की धारा 324/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 25—अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 26— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नही है। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया।
- 27- प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नही है। घटना में फरियादी को कोई गभीर उपहति कारित नहीं हुई। जिसको देखते हुये अभियुक्तग को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः अभियुक्तगण जानकीलाल पुत्र कम्मोडी कुशवाह व गोपाल काछी पुत्र जानकी कुशवाह को भा0द0वि0 की धारा 324/34 में दोषी पाते हुये 01 माह (एक माह) के साधारण कारावास एवं 700/— रूपये (सात सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का <u>पृथक से साधारण कारवास भुगताया जावे।</u> अभियुक्तगण के जमानत संबंधी म्चलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोधी में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावें। धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तेयार कर सलंग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नही है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)